

# न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

08/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0पनेर

बनाम

भागचन्द, सर्वेश्वर पुत्र घनश्यामलाल

अभिषेक पुत्र लीलाधर जाति महाजन नि. पनेर

निर्णय

दिनांक:- 06.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 340 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0.2428 है। भूमि पर बाड लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौके पर से अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटा लिया है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी ने संवत् 2079 में को ग्राम पनेर के आराजी खसरा नंबर 340 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0.2428 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर लगान 0.36 का 50 गुणा 18/-रुपये जुर्माना किया जाता है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या  
23 पर स. 18 की मांग  
कायमी की गई।  
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार  
रुपनगढ(अजमेर)